Order Sheet [Contd] Case No - B.A 05/2016

Date of Order or Proceeding 15—12—2016 311 वेदक जितेन्द्र की ओर से श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड की ओर से अप०क० 355/16 धारा 452, 323, 294, 506, 34 भा.द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश। अग्रेम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फो० का पेश कर निवेदन किया कि फरियादी द्वारा पुलिस गोहद से मिलकर आवेदक के विरुद्ध झूटा अपराध पंजीबद्ध करा लिया है, जबिक आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है, वह घटना के समय घटना		Case No - B.A	03/2010
राज्य की ओर से श्री दीवानिसंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड की ओर से अप0क0 355/16 धारा 452, 323, 294, 506, 34 भा.द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश। आवेदक की ओर से अधि. श्री आर.पी.एस. गुर्जर द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फी0 का पेश कर निवेदन किया कि फरियादी द्वारा पुलिस गोहद से मिलकर आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध करा लिया है, जबिक आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है, वह घटना के समय घटना	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders where
स्थल पर उपस्थित न हाकर संबलगढ़ मुरना म रिलायन्स फीन कम्पना में मैनेजर का कार्य कर रहा था। पुलिस उक्त अपराध में आवेदक को गिरफ्तार करना चाहती है। सहआरोपीगण की नियमित जमानत इसी न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक स्थानीय निवासी है जिनके भागने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। आवेदक अग्रिम जमानत की शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक को उचित अग्रिम जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। पुलिस थाना गोहद के द्वारा फरियादी सुदामालाल की रिपोर्ट के आधार पर कि वर्तमान आवेदक एवं आरोपीगण मारपीट करने के आधार पर कि वर्तमान आवेदक एवं आरोपीगण मारपीट करने के आधार से उनके घर के अंदर प्रवेश किया और उनके साथ गाली गलोज करते हुए मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसमें कि वर्तमान आवेदक के द्वारा कुल्हाड़ी से मारपीट करने के संबंध में बताया गया है। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है।	15-12-2016	राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड की ओर से अप0क0 355/16 धारा 452, 323, 294, 506, 34 भा.द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश। आवेदक की ओर से अधि. श्री आर.पी.एस. गुर्जर द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फो0 का पेश कर निवेदन किया कि फरियादी द्वारा पुलिस गोहद से मिलकर आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध करा लिया है, जबिक आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है, वह घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित न होकर सबलगढ मुरैना में रिलायन्स फोन कम्पनी में मैनेजर का कार्य कर रहा था। पुलिस उक्त अपराध में आवेदक को गिरफ्तार करना चाहती है। सहआरोपीगण की नियमित जमानत इसी न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक स्थानीय निवासी है जिनके भागने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। आवेदक को उचित अग्रिम जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। पुलिस थाना गोहद के द्वारा फरियादी सुदामालाल की रिपोर्ट के आधार पर कि वर्तमान आवेदक एवं आरोपीगण मारपीट करने के आधार से उनके घर के अंदर प्रवेश किया और उनके साथ गाली गलोज करते हुए मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसमें कि वर्तमान आवेदक के द्वारा कुल्हाडी से मारपीट करने के संबंध में बताया गया है। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण	

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया है कि उन्हें जमीनी विवाद के कारण झूठा लिप्त किया गया है। धारा 452 भा0दं0वि0 को छोड़कर शेष सभी धाराएं जमानती है। सहआरोपीगण की जमानत इसी न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आया है जो कि उसके द्वारा द्वारा कुल्हांडी जैसे घातक हथियार लेकर मारपीट करने के आशय से फरियादी के घर के अंदर प्रवेश करना बताया गया है। ऐसी स्थिति में जबिक वर्तमान आवेदक की घटना में शकीय रूप से भाग लेने एवं उपस्थिति होना बताई गई है। मात्र इस आधार पर कि सहआरोपीगण को धारा 439 जा.फौ. के अंतर्गत नियमित जमानत पर छोडा गया है, इस आधार पर वर्तमान आवेदक अग्रिम जमानत की पात्रता नहीं रखता है।

विचारोपरांत प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३८ जा०फौ० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा
(डी०सी०थपलियाल)
ए.एस.जे. गोहद जावे ।

WITHOUT PROTOTO STATE OF STATE

WITHOUT PATERS BUILTING BUILTI